राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी – कपिल उपाध्याय (आर.टी.एस.) प्रकरण संख्या : 01/2019

अन्तर्गत धारा 90 क सपठित धारा 91 राजस्थान भू–राज. अधिनियम 1956
सरकार बनाम रणवीर सिंह पुत्र गणेशाराम जाति गुर्जर निवासी खिरोड़ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।

–: निर्णय :– दिनांक 20.12.19

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी उपस्थित । संक्षेप में प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का, खिरोड़ कि रिपोर्ट अनुसार ग्राम खिरोड़ स्थित भूमि खसरा नम्बर 1365 रकबा 0.1200 है0 किस्म बारानी प्रथम की खातेदारी रणवीर सिंह पुत्र गणेशाराम जाति गुर्जर निवासी खिरोड़ के नाम दर्ज रिकॉर्ड है जिसमें उक्त भूमि कें खातेदार रणवीर सिंह पुत्र गणेशाराम जाति गुर्जर ने सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना ही 472 वर्ग मीटर भूमि पर 20 दुकानो का निर्माण कर रहा है। जो कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ काम में ले लिया गया है। प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 क सपठित धारा 91 के तहत दर्ज कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। नोटिस बाद तामिल प्राप्त जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी ने जवाब नोटिस पेश किया तथा अप्रार्थी ने बताया कि उसने भूमि का संपरिर्वतन कराने हेतु श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, नवलगढ के कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया है, आदेश प्राप्त होते ही संपरिवर्तन की प्रति पेश कर दि जायेगी अतः श्रीमानजी उक्त नोटिस एवं मुकदमा नं0 01/2019 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90ए सपठित धारा 91 को फैसल करने की कृपा करे।

अप्रार्थी ने दिनाक 16.09.19 को उपस्थित होकर कार्यालय में संपरिर्वतन की प्रति एवं जमाबंदी पेश कर निवेदन किया कि उसने श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय नवलगढ से ग्राम खिरोड में स्थित भूमि ख.न. 1365 रकबा 0.1200 है0 मे से 0.0469 है0 भूमि का रास्ते वास्ते राजहक में समर्पित कर दी गई जिसके खसरा नम्ब्र 2639/1365 है तथा शेष रही 0.0731 है0 भूमि जिसके खसरा नम्बर 2640/1365 का वाणिज्य प्रयोजनार्थ भूउपयोग परिवर्तन श्रीमान उपखण्ड अधिकारी नवलगढ के संपरिवर्तन आदेश कमांक/राजस्व/रूपा./2019/829–832 दिनांक 04.09.19 को करवा लिया है तथा उक्त संपरिवर्तन आदेश को उपपंजीयक कार्यालय नवलगढ में दिनांक 04.09.19 को पंजीबद्व करवा लिया है। अतः श्रीमानजी के कार्यालय में विचाराधीन प्रकरण मु0 न0 01/2019 रा0ले0 रे0 एक्ट 1956 की धारा 90ए सपठित 91 का प्रकरण ड्रोप फरमाया जावे। अप्रार्थी द्वारा पेश किया गया संपरिवर्तन आदेश पत्रावली शामिल मिसल किया। श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महादये द्वारा आदेश कमांक राजस्व/रूपा./2019/ 829–832 दिनांक 04.09.19 को जारी संपरिवर्तन आदेश में ग्राम खिरोड़ में भूमि ख.न. 2640/1365 रकबा 0.0731 है0 मे से 0.0731 है अर्थात 731 वर्ग मीटर भूमि का वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन आदेश हुआ।

अतः अप्रार्थी द्वारा उपयोग में लि गई कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ हेतु नियमानुसार संपरिवर्तन करा लिया गया है। इस कार्यालय में विचाराधीन प्रकरण मु0न0 01/2019 रा0ले0 रे0 एक्ट 1956 की धारा 90ए सपठित 91 पर कोई कार्यवाही किया जाना शेष नही रह जाता है। उक्त प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रोप की जाती है । पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद दाखील दप्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.12.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार नवलगढ़